न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 23/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 08.09.2021

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. शिवप्रसाद आत्मज स्व0 गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बम्बूलिया तहसील सांगोद जिला कोटा
2. स्व0 रामनाथी बाई पुत्री स्व0 कान्हा जाति माली निवासी ग्राम बम्बूलिया तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम सीसवाली रोड, अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा मृतक जरये कायम मुकाम –

2/1. दाखा बाई पुत्री स्व0 रामनाथी बाई एवं स्व0 बिरधीलाल पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी ग्राम जोलपा रोड़ सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज०

2/2. सुमित्रा पुत्री स्व0 रामनाथी बाई एवं स्व0 बिरधीलाल पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राज०

2/3. मन्जू बाई पुत्री स्व0 रामनाथी बाई एवं स्व0 बिरधीलाल पत्नी भूपेन्द्र सुमन जाति माली निवासी ग्राम पनवाड (माता जी के मन्दिर के पास) तहसील खानुपर जिला झालावाड

2/4. कैलाश बाई पुत्री स्व0 रामनाथी बाई एवं स्व0 बिरधीलाल पत्नी बाबूलाल जी जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील साांगोद जिला कोटा राज०

2/5. स्व0 मदनलाल पुत्र स्व0 रामनाथी बाई एवं स्व0 बिरधीलाल निवासी कस्बा अन्ता (सत्यनारायण जी भगवान के मन्दिर की गली) सीसवाली रोड, अन्ता जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान –

2/5/1. बृजराज सुमन पुत्र स्व0 मदनलाल जाति माली निवासी कस्बा अन्ता (सत्यनारायण जी भगवान के मन्दिर की गली), सीसवाली रोड, अन्ता जिला बांरा राज०

2/5/2. अन्जू पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी भीमराज जाति माली निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज०

2/5/3. सन्जू पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी महेन्द्र अरविन्द जाति माली निवासी हाउसिंग बोर्ड के पीछे, अन्ता जिला बांरा राज०

2/5/4. धनकंवर पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी सुनील सोलंकी जाति माली निवासी कैथूनीपोल थाने के पीछे कोटा जिला कोटा राज०

2/5/5. कान्ती बाई पत्नी स्व0 मदनलाल जाति माली निवासी कस्बा अन्ता (सत्यनारायण जी भगवान के मन्दिर की गली), सीसवाली रोड, अन्ता जिला बांरा राज०

– अपीलाण्ट्स

– बनाम–

29/8/2025

अति. सं. आयुक्त
कोटा

1. प्यारेलाल आत्मज काना जाति माली निवासी ग्राम बम्बूलिया कलां तहसील सांगोद कोटा हाल
2. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार सरकार

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक –अपीलांट
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक– रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 29.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर के प्रकरण संख्या 390/प्रार्थना–पत्र/2020 बउनवान प्यारेलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2020 के विरूद्ध अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति चाहे जाने के साथ राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 प्यारेलाल के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया गया कि ग्राम सारोलाभनग्याखेड़ी की जमाबंदी सं० 2070–79 की खतोनी सं० 115 में ख0नं0 188 की 1.2060 हेक्टेयर आराजी स्थित है, जो प्रार्थी के शामलाती खाते की है। खातेदार रामकल्याण रामनाथी उर्फ रामप्यारी कस्तूरबाई पिसरान काना द्वारा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड से अपनी सम्पूर्ण हिस्से की आराजी की रिलीज डीड (हकत्याग) कर दिया जिसका नामांतरकरण सं० 447 दि० 19.09.2014 ग्राम सारोलाभनग्याखेड़ी से प्रार्थी के नाम दर्ज होकर जमाबंदी सं० 2069–72 में इसका अंकन हो चुका है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सं० 2073–76 की जमानंदी बनाते समय सहवन से प्रार्थी को रिलीज की गई आराजी के स्थान पर पुनः रिलीजकर्ता रामकल्याण रामनाथी उर्फ रामप्यारी कस्तूरबाई का नाम इस जमाबंदी में दर्ज कर दिया, जो दुरूस्त होने योग्य है। वर्तमान जमाबंदी में रामकल्याण का हि० 1/7, कस्तूरीबाई का हि० 1/7, रामनाथी उर्फ रामप्यारी का हि० 1/7 व प्रार्थी प्यारेलाल का हिस्सा 1/7 दर्ज है, जबकि उक्त खातेदारों द्वारा प्रार्थी के हक में हकत्याग करने व नामा० सं० 447 दर्ज होने से प्रार्थी का हिस्सा 4/7 दर्ज होना चाहिये व खातेदार रिलीजकर्ता रामकल्याण रामनाथी उर्फ रामप्यारी कस्तूरबाई का नाम खाते से खारिज होना चाहिये। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खातेदार रामकल्याण रामनाथी उर्फ रामप्यारी कस्तूरबाई का नाम खाते से हटाया जावे व प्रार्थी का हिस्सा 1/7 के स्थान पर 4/7 दर्ज किया जावे।

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायायल के द्वारा निर्णय दिनांक 18.08.2020 से रेस्पो0 क्र. 1 प्यारेलाल का उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सारोलाभनग्याखेड़ी की जमाबंदी सं0 2076–79 की खतोनी सं० 115 में ख0नं0 188 की 1.2060 हेक्टेयर आराजी में वर्तमान रेकार्ड के स्थान पर प्यारेलाल पुत्र काना जाति माली निवासी बम्बूलिया तह० सांगोद का हि० 4/7, कौशल्याबाई, दिल्लाबाई, धापूबाई, लाडबाई, शीलाबाई बालिग, नामा० प्रिया (संरक्षक माता मोहनीबाई) पिता माधोलाल, मोहनीबाई पत्नि स्व० माधोलाल का हि० 1/7 में हि०ब०, शिवप्रसाद भंवरीबाई पिसरान गोपाल का हि० 1/7 में हि०ब० व सौरभ पुत्र प्यारेलाल माली का निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड़ का हि० 1/7 दर्ज कर खाता शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित की गई। साथ ही प्रश्नगत आराजी के संबंध में वर्तमान खातेदार कस्तूरीबाई, पुष्पाबाई, रामकल्याण, रामनाथीबाई उर्फ रामप्यारीबाई पिसरान काना हकत्याग व बैचान से अपना हिस्सा हस्तान्तरण किये जाने से इनका नाम खाते से खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के निर्णय दिनांक 18.08.2020 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय कानून, न्याय एव तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार की जाकर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पो० नं० 1 को तथ्यों को छिपा कर सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही सर्वथा गैर कानूनी रूप से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलान्टान जो अभिलिखित सहखातेदार थे उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान से परे जाकर चाहे गये अनुतोष से परे जाकर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि अपील विषयक उपरोक्त भूमि कान्हा जी उर्फ काना जी माली निवासी बम्बूलिया के खाते की थी। कान्हा जी का स्वर्गवास हो चुका है।

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

कान्हा जी के चार पुत्र गोपाल, माधोलाल, रामकल्याण एवं प्यारेलाल तथा तीन पुत्रियां रामनाथी बाई, कस्तूर बाई एवं पुष्पा बाई थी। इस प्रकार कान्हा जी के चार पुत्र एवं तीन पुत्रियां थे। उपरोक्त भूमि में प्रत्येक का समभाग से 1/7–1/4 हिस्सा था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा दिनांक 03.03.2004 को पारित निर्णय एवं डिक्री के अनुसार उपरोक्त भूमि का प्रत्येक को समभाग से 1/7–1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया था। अपीलान्ट नं० 1 शिव प्रसाद एवं भंवरी बाई पिसरान स्व० गोपाल जी का उपरोक्त आराजियात में 1/7 हिस्सा है। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर शिव प्रसाद एवं भंवरी बाई का 1/7 हिस्सा दर्ज किया गया था। माधोलाल, रामकल्याण, प्यारेलाल, रामनाथी, कस्तूरी एव पुष्पा बाई प्रत्येक का भी 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज किया गया था। माधोलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाट नं0 2 रामनाथी बाई ने रेस्पो०नं० 1 के पक्ष में उपरोक्त आराजी में निहित उसके हिस्से का हक त्याग नही किया था तथा रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में कोई रिलीज डीड निष्पादित नहीं की थी। अपीलान्ट नं. 2 रामनाथी बाई एवं अन्य सहखातेदारान रामकल्याण एवं कस्तूर बाई को केवल एक सहखातेदार रेस्पी० नं० 1 के पक्ष में अपना हक त्याग पत्र रिलीज डीड निष्पादित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। इस आधार पर रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में निष्पादित तथाकथित रिलीज डीड अवैध एवं प्रभावशुन्य है। जिससे रेस्पो० नं० 1 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि में रेस्पो० नं० 1 का 4/7 हिस्सा दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। सौरभ आत्मज प्यारे लाल द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अनुतोष चाहे बिना ही उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट नं० 1 के पिता गोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके उत्तराधिकारी उनका एक पुत्र अपीलान्ट नं० 1 शिव प्रसाद है एवं एक पुत्री भंवरी बाई है। भंवरी बाई एवं अपीलान्ट नं0 2 रामनाथी बाई ने उपरोक्त आराजी में निहित उनके सम्पूर्ण हिस्से का अपीलान्ट न० 1 के पक्ष में हक त्याग कर पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 19.12.2019 को अपीलान्ट नं० 1 के पक्ष में निष्पादित करदी थी। उक्त पंजीकृत रिलीज डीड के आधार पर अपीलांट नं0 1 उपरोक्त आराजी में निहित अपीलान्ट नं0 2 रामनाथी बाई एवं भंवरी बाई पुत्री गोपाल के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपीलान्ट नं० 1 भवरी बाई एवं अपीलान्ट नं0 2 रामनाथी बाई के उपरोक्त आराजियात में निहित हिस्से की भूमि पर

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपीलान्ट न० 1 अपने हिस्से की भूमि के साथ–साथ काबिज है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट नं0 2 रामनाथी उर्फ रामप्यारी को पक्षकार बनाये बिना ही धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपीलान्ट नं0 2 रामनाथी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलाट नं0 2 ने उपरोक्त भूमि में निहित उसके 1/7 हिस्से को रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में हक त्याग नहीं किया था तथा कानूनन हक त्याग नहीं किया जा सकता था। तथाकथित रिलीज डीड गैर कानूनी एवं प्रभावशून्य है। अपीलान्ट नं0 2 ने उपरोक्त आराजी में निहित उसके 1/7 हिस्से की भूमि को अपीलान्ट नं० 1 के पक्ष में हक त्याग कर पंजीकृत रिलीज डीड उसके पक्ष में निष्पादित की है इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट नं० 2 के उपरोक्त आराजी में निहित उसके हिस्से की भूमि को रेस्पो० नं01 के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टान को पक्षकार बनाये बिना ही हुक्म जेर अपील पारित किया है। अपीलान्टान उपरोक्त आराजियात के अभिलिखित खातेदार /सहखातेदार है। अपीलान्टान का उपरोक्त आराजियात में हित निहित है। अपीलान्ट न० 1 उपरोक्त आराजियात के 2/7 हिस्से की भूमि पर काबिज है। हुक्म जेर अपील से अपीलान्टान के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के द्वारा अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2020 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा बिना पक्षकार बनाये ही पारित किया गया है।

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान से परे जाकर चाहे गये अनुतोष से परे जाकर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी कान्हा जी उर्फ काना जी माली निवासी बम्बूलिया के खाते की थी तथा कान्हा जी के चार पुत्र गोपाल, माधोलाल, रामकल्याण एवं प्यारेलाल तथा तीन पुत्रियां रामनाथी बाई, कस्तूर बाई एवं पुष्पा बाई थी। कान्हा जी का स्वर्गवास हो चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि में प्रत्येक का समभाग से 1/7-1/4 हिस्सा निहित था। अपीलान्ट नं० 1 शिव प्रसाद एवं भंवरी बाई पिसरान स्व० गोपाल जी का उपरोक्त आराजियात में 1/7 हिस्सा है। अपीलाट नं0 2 रामनाथी बाई ने रेस्पो०नं० 1 के पक्ष में उपरोक्त आराजी में निहित उसके हिस्से का हक त्याग नही किया था तथा रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में कोई रिलीज डीड निष्पादित नहीं की थी। अपीलान्ट नं. 2 रामनाथी बाई एवं अन्य सहखातेदारान रामकल्याण एवं कस्तूर बाई को केवल एक सहखातेदार रेस्पी० नं० 1 के पक्ष में अपना हक त्याग पत्र रिलीज डीड निष्पादित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। इस आधार पर रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में निष्पादित तथाकथित रिलीज डीड अवैध एवं प्रभावशुन्य है। जिससे रेस्पो० नं० 1 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 नं0 1 के द्वारा रामनाथी बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि में रेस्पो० नं० 1 का 4/7 हिस्सा दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है, जबकि अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि रेस्पो0 क्र. 1 का 4/7 हिस्सा किस प्रकार हुआ है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के अंतिम पैरा में वर्तमान खातेदार कस्तूरीबाई, पुष्पाबाई, रामकल्याण, रामनाथीबाई उर्फ रामप्यारी पिसरान काना के नाम खाते से खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा सौरभ पुत्र प्यारेलाल माली का निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड़ का भी हि० 1/7 दर्ज कर खाता शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सौरभ पुत्र प्यारेलाल माली का नाम किस प्रकार से दर्ज किये जाने का आज्ञा पारित की गई है, का स्पष्ट विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया है एवं अपीलांट के नाम विलोपित किये जाने से पूर्व पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि वर्तमान अंकित खातेदार का नाम विलोपित किये जाने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। इससे अपीलांट के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ा हैं। अतः प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2023(1) Page No. 1, RRT 2023(1) Page No. 137, RRT 2014(1) page no. 509** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि खातेदार रामकल्याण रामनाथी उर्फ रामप्यारी कस्तूरबाई पिसरान काना द्वारा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड से अपनी सम्पूर्ण हिस्से की आराजी की रिलीज डीड (हकत्याग) कर दिया जिसका नामांतरकरण सं० 447 दि० 19.09.2014 ग्राम सारोलाभनग्याखेड़ी से रेस्पो0 प्यारेलाल के नाम दर्ज होकर जमाबंदी सं० 2069–72 में इसका अंकन हो चुका था। इसके उपरांत की जमाबंदी में राजस्व कार्मिकों के द्वारा त्रुटि किये जाने के कारण केवल सरकार को पक्षकार बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि रिलीज डीड के आधार पर पूर्व में ही नामांतरकरण खुल चुका था। ऐसी स्थिति में पुनः रिलीजकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए अपील पेश करने की अनुमति चाहे जाने के साथ अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के नाम विलोपित किये जाने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा है, जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 नं. 1 के द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रकट होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 18.08.2020 के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर नामांतरकरण संख्या 447 दिनांक 19.09.2014 दर्ज किया जाकर रामकल्याण, रामप्यारी, कस्तूर के नाम विलोपित कर रिलीजग्रहीता के पक्ष में हिस्सा दर्ज करने का आदेश हो चुका था। हस्तगत प्रकरण में सही हिस्सा 4/7 होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड में उक्त हिस्सा सहीं किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में हमारे मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कार्मिकों द्वारा की गयी त्रुटि दुरूस्त की गयी है, जिसमें सुनवाई का आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट द्वारा मूलतः रिलीज डीड से संबंधित आपत्ति व्यक्त की है। यदि अपीलांट्स को रिलीज डीड से आपत्ति है तो उन्हें इस निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

29/8/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

सं. आयुक्त
कोटा